

01
28/25

— वकील प्राचीगण उपस्थित नहीं। प्राचीगण स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज लगाई गई। अतः यह प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी अदम झणरी में खारिज किया जाता है।

पतावली निर्णय में गुमार को जकर नम्बर से कम हो तथा तरीब त्कामिल होकर दाखिल दफ्तर हो।

Dayendap
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (बुरु)